

प्ररूप - 2 ड.

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के लिए नर्वाचन

(भाग - 1)

हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए दरभंगा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम लक्ष्मी महतो (पिता/माता/प्रति का-

नाम) स्व० प्रमेश्वर महतो उसका डाक पता प्रभु ठाकुर मुहल्ला, वार्ड सं०-०९,

पो०+थाना-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर उसका नाम 139, रोसड़ा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 213 में क्रम सं० 1569 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा शिक्षक परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा शिक्षक निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6
1	74	63	महेश चन्द्र मिश्र	Mahesh Chandra Mishra	01-03-14.
2	74	69	रविन्द्र झा	Ravindra Jha	01-03-14.
3	74	177	बाबेश्वर साहु	Babeshwar Sahu	01-03-14.
4	74	186	अमरेन्द्र कुमार झा	Amrendra Kumar Jha	01-03-14.
5	75	62	उत्तम चंद्र दास	Uttam Chandra Das	01-03-14.
6	73	105	चन्दन कुमार वर्मा	Chandan Kumar Verma	01-03-14.
7	73	141	राजेश कुमार	Rajesh Kumar	01-03-14.
8	74	188	रंधीर कुमार	Randhir Kumar	01-03-14.
9	74	75	रामकरण महतो	Ram Karan Mahato	01-03-14.

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।
मैं उपरिवाणित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ
कि:-

(क) मैंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में निर्दलीय दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/पुत्र/पुत्री का नाम ऊपर देवनागरी भाषा का नाम, मैं सही रूप से लिखा गया है : और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दरभंगा शिक्षक परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 01-03-2014

मन्मोहन
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हाँ/ नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। नहीं

यदि उत्तर "हां" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थानों) नहीं जिला(जिले) नहीं राज्य नहीं
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (चुर्माने) की राशि उपदर्शित करे नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हां/ नहीं नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां नहीं
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो नहीं
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) नहीं
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) नहीं

स्थान दरभंगा
तारीख 01-03-2014

लक्ष्मी नदी
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० - 03

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 03.03.14 तारीख, को 01-40 PM बजे,

अभ्यर्थी/प्रस्थामक श. लक्ष्मी शर्मा नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 03.03.2014

रिटनिंग आफिसर

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है

और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख.....

रिटनिंग आफिसर

रिटनिंग

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० - 03

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 03.03.14 तारीख, को 01-40 PM बजे,

अभ्यर्थी/प्रस्थामक श्री लक्ष्मी शर्मा नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 03.03.2014

रिटनिंग आफिसर

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है

और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख.....

रिटनिंग आफिसर

रिटनिंग